

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18179-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का प्रतिस्थापन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. धारा ६ का संशोधन.
७. धारा ७ का संशोधन.
८. धारा ९ का संशोधन.
९. धारा ९-क का संशोधन.
१०. निरसन तथा व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

परिभाषाएं.

“२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “मंत्री” में सम्मिलित है मुख्यमंत्री;

(ख) “पूर्व मुख्यमंत्री” से अभिप्रेत है, उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और उसमें सम्मिलित है विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य का ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री, जो उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था;

(ग) “विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य” तथा “उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य” के वही अर्थ होंगे जो कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० (२००० का २८) के खण्ड (ड) तथा खण्ड (ज) में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:-

‘परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के वेतन के समतुल्य मानदेय का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री का कोई पद धारण करता है तो वह उस कालावधि के दौरान ऐसे मानदेय का हकदार नहीं होगा.’.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.”;

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.”.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

धारा ५ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, अपने सम्पूर्ण जीवन काल में किराए के भुगतान के बिना, मंत्री के समतुल्य किसी सुसज्जित निवास स्थान के उपयोग का हकदार होगा.”;

(दो) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”;

(तीन) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

धारा ६ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”;

(दो) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

धारा ७ का संशोधन.

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, इस उपधारा के अधीन उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

धारा ९ का संशोधन.

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित विश्राम भवनों (सरकिट हाउसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज) में वास सुविधा तथा विद्युत् की व्यवस्था का बिना किसी प्रभार के भुगतान के हकदार होगा.”.

धारा १-क का संशोधन. १. मूल अधिनियम की धारा १-क में, अंतिम स्थान पर आए पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस धारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को भी लागू होगा.”

निरसन तथा व्यावृत्ति. १०. (१) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक २ सन् २०१७) एतद्वारा, निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निस्पन होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कार्यपालिक आदेश दिनांक २१ अप्रैल, २०१६ के द्वारा मंत्रियों के सम-मूल्य पर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थीं. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) में ये सुविधाएं सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक २ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :  
तारीख १८ जुलाई, २०१७

लाल सिंह आर्य  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

### वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये ४८,६०,०००/- (अड़तालीस लाख साठ हजार) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

### अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कार्यपालिक आदेश दिनांक २१ अप्रैल, २०१६ के द्वारा मंत्रियों के सम-मूल्य पर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थीं. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) में ये सुविधाएं सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया, चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक २ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.